हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

सं0:पीसीएच-एचए(3)19/2007-I/606811/2025शिमला-09 दिनांक24-04-2025

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 19 अक्तूबर, 2024 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर के विकास खण्ड सदर की "ग्राम सभा बाड़नू-दिगथली" के मुख्यालय को स्थान "बल्ह रीडी" से बदलकर "तूनीघाट" में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला बिलासपुर के विकास खण्ड सदर की "ग्राम सभा बाड़नू-दिगथली" के मुख्यालय को स्थान "बल्ह रीडी" से बदलकर "तूनीघाट" में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

सं0:पीसीएच-एचए-I/606811/2025 शिमला-09 दिनांक 24-04-2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू:-

1.उपायुक्त, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ।
2.जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।
3.खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।
4.प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत बाड़नू-दिग्थली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0।
5.ई-राजपत्र।

Signed by
Raghav Sharma
Date: 25-04-2025 11:21:41

विशेष सचिव (पं0 राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।